Gen. No. 13

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 100/2017 अनवानी अमृतपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 8 आरबी हाल निवासी मकान नं 48/90 पंचम सोसाईटी सैक्टर नं 68 मोहाली (पंजाब) बनाम 1. गुरिन्द्र कौर पत्नि जगतार सिह जाति जटसिख निवासी अरोडवंश बारात घर के पास पदमपुर व गुरचरण सिंह वगै. व स्टेट जरिये तहसील राजस्व, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2018

प्रार्थी अमृतपाल सिंह के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह संधू उपस्थित हुए, उनको सुना गया। उनका कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 9/2009 अनवानी पर्वत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर वगै. अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब इस प्रार्थना पत्र में वे अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए इस आधार पर उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने प्रार्थी अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 9/2009 अनवानी पर्वत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब चूंकि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं। इसलिए इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर